तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **इकबाल सिंह बनाम नगर विकास न्यास अलवर** **232/11 (आरसीएमएस नं. 2011/00015)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.05.18	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई फिर भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही, प्रकरण में पुनः रूक रूककर आवाजें दिलवाई गई इसके उपरान्त भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थिन नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2011 से विचाराधीन चल रहा है तथा अधिवक्ता अपीलान्ट पूर्व में भी कई बार अनुपस्थित रहे है तथा इसके लिये उन्हे अंतिम अवसर भी दिये गये है उसके बावजूद आज भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होने के कारण अपील अपीलान्ट अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावे तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (टी0रविकान्त) संभागीय आयुक्त, जयपुर संभागीय आयुक्त जयपुर	